न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 01/19

अपीलाण्ट

1. देशादेवी पुत्री स्व. अर्जुनसिंह
   जाति पुरोहित निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत थापन पंचायत समिति सिवाना जिला बाडमेर
2. धनीदेवी पत्नी स्व. अर्जुनसिंह जाति पुरोहित निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. शैतानसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह जाति पुरोहित निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी ग्राम पंचायत थापन के आदेश कमांक 1307 दिनांक 20.05.2018 के द्वारा अवैधानिक रूप से आदेश पारित कर स्व. मांगसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्टस् संख्या 2 व 3 के पक्ष में हुए अवेध म्यूटेशन को निरस्त करवाने

उपस्थित :–

1. **श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता अपीलान्ट**
2. **श्री जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण 2 व 3**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07.11.19

अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तरणकरण संख्या 1307 दिनांक 20.05.2018 को ग्राम पंचायत थापन द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि राजस्व ग्राम थापन के खेत खसरा नम्बर 403 रकबा 2.2015 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.8984 हेक्टर कुल रकबा 3.0999 हेक्टर की अवस्थित है। उक्त भूमि का इन्द्राज दिनांक 20.05.2018 से पूर्व से स्वर्गीय अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति पुरोहित निवासी थापन के नाम से चला आ रहा था। अर्जुनसिंह का स्वर्गवास दिनांक 30.09.2016 को हो जाने से अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने स्व. अर्जुनसिंह से मिलने वाले हिस्सेदारी की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व स्वर्गीय मांगसिंह के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क नामा के हकतर्क कर दिये जाने से उक्त खातेदारी कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह का 1/2 हिस्सा एवं स्वर्गीय मांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह का 1/2 हिस्सा हुआ। मांगसिंह का स्वर्गवास होने पर ग्राम थापन के हल्का पटवारी द्वारा स्व. मांगसिंह के फोतेतगी का नामान्तरणकरण संख्या 1307 दिनांक 16.04.2018 को भरा गया जिस पर भू.अ.निरीक्षक थापन ने दिनांक 03.05.2018 को अपनी टिप्पणी सहित अपनी जांच में कि "खतौनी एवं प्रार्थी शैतानसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से तुलना की गई अंकन सही पाया। खातेदार मांगसिंह अविवाहित फौत है उनके वारिस भाई शैतानसिंह बहिन देशादेवी एवं माता धनीदेवी के नाम हिस्सा दर्ज किया जावे।" तथा नामान्तरकरण की पुश्त पर स्व. अर्जुनसिंह की वंश वंशावली

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

का भी खुलासा कर स्वीकृति के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत थापन के समक्ष पेश किया। रेसपोडेन्टस संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध आदेश "हिन्दू उत्राधिकार के अनुसार अविवाहित व्यक्ति फौत होने से प्रथम वारिस मां होती है, अतः माता धनीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह के पक्ष में नामान्तरणकरण स्वीकृत किया जाता है।" इस प्रकार के आदेश पारित करने का रेस्पोडेन्टस संख्या 1 को कोई कानून अधिकार नहीं होने से ऐसा आदेश पारित कर कानूनी व वाक्यात भूल की है। मांगाराम के स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त 1/6 हिस्से की अपीलार्थी एक मात्र काबिज स्वामी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की हिस्सेदारी 1/6 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की हिस्सेदारी 4/6 की है। रेस्पोडेन्टस सख्या 2 व 3 ने अपीलार्थी को उनके हक अधिकार से वंचित करने की बदनियती रखते हुए उपरोक्त कृषि भूमि में अंकित मांगसिंह के हिस्सा 1/2 की प्रविष्टियां हटवाकर बदनियती पूर्वक रेस्पोडेन्टस संख्या 2 धनीदेवी का नाम इन्द्राज करवा दिया ऐसा करने का रेस्पोडेन्टस संख्या 2 को कोई कानूनी व वैधानिक अधिकार नहीं था ना ही है। स्व. मांगसिह ने अपने जीवनकाल में अपीलाधीन कृषि भमि का किसी प्रकार से कानूनन हस्तान्तरण नहीं किया। ना ही अपीलार्थी ने अपन भाई मांगसिंह से मिलने वाली उत्तराधिकारिता की कृषि भूमि का किसी प्रकार से रेस्पोडेन्टस संख्या 2 या 3 के पक्ष मे हस्तान्तरित किया गया। मांगसिंह के स्वर्गवास होने से मांगसिंह के हिस्सेदारी 1/2 में तीसरे हिस्सा अर्थात 1/6 के मालिक स्वतः हो गये। अपेक्षित म्यूटेशन आदेश कमांक 1307 दिनांक 16.04.2018 सर्वथा विधी विरूद्ध है। अतः ऐसे म्यूटेशन आदेश को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी का नाम 1/6 की हिस्सेदारी में दर्ज किया जावे, तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के हिस्सेदारी 1/2 को हटाकर 1/6 में की जावे व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 की उनके पूर्व हिस्सेदारी 1, 2 में 1/6 को जोडते हुए 4/6 अर्थात 2/3 के इन्द्राज किये जावें।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेसपोडेन्टान मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि म्यूटेशन आदेश कमांक 1307 दिनांक 16.04.2018 स्वीकृति दिनांक 20.05.2018 रेसपोडेन्टस संख्या 1 के द्वारा पारित को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी का नाम अपीलाधीन कृषि भूमि ग्राम थापन के खसरा नम्बर 403 व 413 के कुल रकबा 3.0999 हेक्टर में अपीलार्थी देशादेवी के भाई स्वर्गीय मांगसिंह के हिस्सा 1/2 में आने वाली अपीलार्थी की हिस्सेदारी 1/6 के रूप में जोडा जावे व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 धनीदेवी के हिस्सा 1/2 को हटाया जाकर उसकी जगह 1/6 एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 3 शैतानसिंह की हिस्सेदारी 1/2 में स्व. मांगसिंह से मिलने वाली हिस्सेदारी 1/6 को जोडते हुए शैतानसिंह की हिस्सेदारी 2/3 की जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों से बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1307 का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। उक्त नामान्तरणकरण मृतक मांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह की फौतगी पर मांगसिंह के लाऑलाद फौत हो जाने के कारण हल्का पटवारी द्वारा स्व. मांगसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

फोतेतगी का नामान्तरणकरण संख्या 1307 दिनांक 16.04.2018 को भरा गया जिस पर भू.अ.निरीक्षक थापन ने दिनाक 03.05.2018 को अपनी टिप्पणी सहित अपनी जांच रिपोर्ट मे **"खतौनी एवं प्रार्थी शैतानसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से तुलना की गई अंकन सही पाया। खातेदार मांगसिंह अविवाहित फौत है उनके वारीस भाई शैतानसिंह बहिन देशादेवी एवं माता ग्नीदेवी के नाम हिस्सा दर्ज किया जावे।"** तथा नामान्तरकरण की पुश्त पर स्व. अर्जुनसिह की वंश वशावली का भी खुलासा कर स्वीकृति के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपच ग्राम पंचायत थापन के समक्ष पेश किया। अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 से 3 के नाम हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया परन्तु सरपंच ग्राम पचायत थापन द्वारा इसको स्वीकृत करते वक्त कोई ठोस कारण अंकित किये विना ही मांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के नाम का इन्द्राज अपीलान्ट की माता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत कर आदेश दिया गया। जिससे अपीलान्ट का नाम उक्त नामान्तरणकरण में दायर होने से बंचित रखा गया है। यहां यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अर्जुनसिंह की जायन्दा पुत्री होने से मृतक मांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के लाऑलाद फौत होने पर उसके हक हिस्से की भूमि जो उक्त नामान्तरणकरण से मांगसिंह के वारिसान अपीलान्ट के अतिरिक्त रेस्पोडेन्टान 2 के नाम दर्ज की गई है, मे भी अपीलान्ट का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वैद्य हक निहित हैं। तथा अपीलान्ट, मृतक मांगसिंह की फौतगी पर पारित उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की तहत आराजी में रेस्पोडेन्टान संख्या 02 से 03 के साथ साथ खातेदारी हक रखती है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत थापन द्वारा उक्त नामान्तरणकरण को पारित करते वक्त अपीलान्ट का नाम अकारण ही हटाया जाकर विधिक त्रुटि की है। अतः उक्त नामान्तरणकरण में अपीलान्ट भी मृतक मांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के लाऑलाद फौत हो जाने के कारण वैद्य वारिसान होने से अपीलान्ट का नाम जोडा जाना उचित प्रतीत होता है। चूकि रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित होकर लिखित राजीनामा पेश कर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर माफिक इश्तदुआ अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। जिससे अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

दोनों पक्षों की बहस तथा पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन आराजी का पुश्तैनी भूमि होने के बारे में दोनों पक्षों में कोई मतभेद सामने नहीं आया है। प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पैतृक होने तथा अपीलान्ट जो कि उक्त आराजी में मृतक मांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह की विधिक उत्तराधिकारी होते हुए उनके नाम नामान्तरणकरण दर्ज नहीं कर स्वीकृत करना न्यायोचित नहीं है तथा इस प्रकार विधि विरूद्ध आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल ने यह प्रतिपादित किया है कि नामान्तरकरण सभी उत्तराधिकारयों को बिना सुने पारित किया गया है, ऐसा आदेश शून्य है तथा जहां कोई आदेश Void ab entio हो, वहां उसे किसी भी समय चुनोती दी जा सकती है। नामान्तरणकरण की कार्यवाही में सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने का कोई प्रमाण नहीं हैं। यद्यपि विधि विरूद्ध आदेश को बनाये रखना भी न्यायोचित नही है। अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध मे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
शिवाना (बाड़मेर)

अपील के तथ्यों एवं वस्तुस्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत थापन के नामान्तरकरण संख्या 1307 में इन्द्राज ग्राम थापन के खसरा नम्बर 403 व 413 के रकबा 3.0999 हेक्टर में अपीलार्थी देशादेवी के भाई स्वर्गीय मांगसिंह के हिस्सा 1/2 में आने वाली अपीलार्थी की हिस्सेदारी 1/6 के रूप में जोड़ने व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 धनीदेवी के हिस्सा 1/2 को हटाया जाकर उसकी जगह 1/6 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 शैतानसिंह की हिस्सेदारी 1/2 में स्व. मांगसिंह से प्राप्त होने वाली हिस्सेदारी 1/6 को जोडते हुए शैतानसिंह की हिस्सेदारी 2/3 दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी प्रकार नामानान्तरणकरण स्वीकृत कर अभिलेख में प्रविष्टियां की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड सिवाना (बाड़मेर)